प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 मई, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी एहसान पुत्र श्री शहीद, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर/शामली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34853/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-28.10.2021) दिनांक-02.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी एहसान पुत्र श्री शहीद, काजीवाडा आजाद चौक, थाना-शामली, जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद-शामली का निवासी है। बंदी ने दिनांक 08.10.2014 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हाथों में तमंचे लेकर इफ्तकार उर्फ ढोलू तथा शाहजाद तथा उसकी भतीजी रूकसाना के घर में घुस कर गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर इफ्तखार, रूखसाना तथा शाहजाद को घायल कर दिया, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया जहॉ उपचार के बाद तीनों बच गये, किन्तु रूखसाना के पेट में ही शिशु की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-746/2005 भा0द0सं0 की धारा-452, 307/34, 316/34, 504 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-10, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 11.12.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.04.2015 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.02.2021 तक 16 वर्ष 00 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति की बैठक दिनांक 04.10.2019 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में **जिला प्रोबेशन अधिकारी**, **पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी द्वारा भाविष्य में अपराध करने का अवसर होने**, **पुन: अपराध करने में सशक्त होने**, **जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने**, **परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।**

बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी द्वारा अपरिहार 16 वर्ष 00 माह 29 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष 01 माह 01 दिन की सजा, सन्तोषजनक जेल आचरण, बंदी का अभिभावक उपयुक्त होने, जिला मजिस्ट्रेट की 05 बिन्दुओं की आख्या के बिन्दु सं0-1 के अनुसार बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं प्रोबेशन अधिकारी द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किये जाने तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 29.09.2021 अभिलिखित "The informant had categorically submitted that he has no objection for the premature release of the petitioner." के दृष्टिगत गहनतापूर्वक पुर्नविचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी एहसान पुत्र श्री शहीद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है, **किन्तु जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक**, **शामली**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सक्षम स्तर पर बंदी की समयपूर्व रिहाई को अस्वीकार कर दिया गया है।

3- मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या-391/2020 अहसान बनाम उ0प्र0 राज्य आदेश दिनांक 29.09.2021 से आच्छादित है, जिसमें निम्नवत आदेश पारित किये गये:-

" An affidavit filed by the informant at the time of consideration of the application filed by the petitioner under Article 161 of the Constitution of India has been placed on record by the petitioner. The informant had categorically submitted that he has no objection for the premature release of the petitioner."

4- मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या-391/2020 अहसान बनाम उ0प्र0 राज्य आदेश दिनांक 29.09.2021 एवं दिनांक 16.03.2022 के समादर में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी एहसान (बन्दी संख्या-15923) पुत्र श्री शहीद, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर/शामली के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-24/2022/2373(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शामली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-24/2022/2373/22-2-2021-17(1024)/2019

दिनांक 12 मई, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी एहसान पुत्र श्री शहीद, काजीवाडा आजाद चौक, थाना-शामली, जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद-शामली का निवासी है। बंदी ने दिनांक 08.10.2014 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हाथों में तमंचे लेकर इफ्तकार उर्फ ढोलू तथा शाहजाद तथा उसकी भतीजी रूकसाना के घर में घुस कर गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर इफ्तखार, रूखसाना तथा शाहजाद को घायल कर दिया, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया जहॉ उपचार के बाद तीनों बच गये, किन्तु रूखसाना के पेट में ही शिशु की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-746/2005 भा0द0सं0 की धारा-452, 307/34, 316/34, 504 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-10, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 11.12.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.04.2015 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.02.2021 तक 16 वर्ष 00 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति की बैठक दिनांक 04.10.2019 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में **जिला प्रोबेशन अधिकारी**, **पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने**, **पुन: अपराध करने में सशक्त होने**, **जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने**, **परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।**

बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी द्वारा अपरिहार 16 वर्ष 00 माह 29 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष 01 माह 01 दिन की सजा, सन्तोषजनक जेल आचरण, बंदी का अभिभावक उपयुक्त होने, जिला मजिस्ट्रेट की 05 बिन्दुओं की आख्या के बिन्दु सं0-1 के अनुसार बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं प्रोबेशन अधिकारी द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किये जाने तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 29.09.2021 अभिलिखित "The informant had categorically submitted that he has no objection for the premature release of the petitioner." के दृष्टिगत गहनतापूर्वक पुर्नविचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी एहसान पुत्र श्री शहीद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है, **किन्तु जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक**, **शामली द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सक्षम स्तर पर बंदी की समयपूर्व रिहाई को अस्वीकार कर दिया गया है।**

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in